पत्र सं0–01/स्था0 (पत्राचार)–04/2015 4907 न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भरत झा, भा0प्र0से0
निदेशक नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

श्री जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री विनोदानन्द झा
उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री संजीव कुमार पाण्डेय,
Team Leader,
PMC-NULM,
Urban Development & Housing Department.
Team Leader,
DEAS, SLPMU
S.K Patodia & Associates, CA,
603 Samati Palace, Opp. Alankar Jewellers,
Near Crossing Patna-01.

पटना, दिनांक– 26/7/17

विषयः– राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंगः– योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक–3442 दिनांक–30.06.17

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय कार्यालय आदेश सं0–240 –सह–पठित ज्ञापांक–4596 दिनांक–12.07.17 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपको विभागीय नवप्रवर्त्तन कोषांग का अध्यक्ष/सदस्य नामित किया गया है।

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–07.01.16 को सम्पन्न राज्य नवप्रवर्त्तन के परिषद् के कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका–5 (घ) में विभाग में किये गये नवप्रवर्त्तन संबंधी कार्य के लिए एक Write-up तैयार किये जाने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त निदेश के अनुपालन में विभाग में किये गये नवप्रवर्त्तन संबंधी कार्य के लिए एक Write-up तैयार कर प्रतिवेदन योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो04 / R.N.P.-05 / 2015 3442 पटना, दिनांक 30 जून, 2017

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश,
वरीय अनुसंधान पदाधिकारी

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
(उद्योग विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग / श्रम संसाधन विभाग / संसदीय कार्य विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को छोड़कर)
बिहार, पटना।

विषय: **राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय का अनुपालन करने के संबंध में।**

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 2001 / यो0वि0, दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 5279 दिनांक 12.09.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 07.01.2016 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में कार्यवाही की कंडिका 5(घ) में निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों में किये गये नवप्रवर्त्तन संबंधी कार्य के लिए एक write-up तैयार किया जाय। इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था जो सम्प्रति अप्राप्त है।

अनुरोध है कि अपने विभाग के नवप्रवर्त्तन संबंधी कार्य का write-up तैयार कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

30/06/17

(प्रेम प्रकाश)
वरीय अनुसंधान पदाधिकारी

मुख्य सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना — पत्र पंजी — 04 JUN 2017 — संख्या 6054

मुख्य सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना — पत्र — 03 JUL 2017

Innovation_Letter05_June_2017